डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के परीक्षा समिति की

चतुर्थ बैठक दिनाँकः 29 अप्रैल, 2019 का कार्यवृत्त

समय –	सायंः 03:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की चतुर्थ बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/4	**परीक्षा समिति की तृतीय बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/4	**परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 18.03.2019 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या**
	निर्णयः– परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 07.12.2018 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन/कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देश प्रदान किए गएः– **बिन्दु संख्या–3/3** : आगामी अधिसत्र/सत्रान्त परीक्षा 2019–20 के लिए विभागों से अगस्त माह में आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षकों की सूची प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गये।
3/4	**प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विद्यार्थियों की परीक्षा एवं शुल्क निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को दोबारा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की गई, जिसके लिए विद्यार्थी को प्रति प्रश्न–पत्र कोड रू0 1000/– जमा करना होगा। परीक्षा समिति द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को दोबारा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की गई।

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

4/4	**सामान्य विद्यार्थियों को 01 एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को 02 अवसर के अन्तर्गत दो से अधिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विद्यार्थियों की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए गये कि ऐसे विद्यार्थियों का case to case अध्ययन कर परीक्षा नियंत्रक के स्तर से डॉटा तैयार किया जाय। तत्पश्चात् उनके प्रकरण को विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति गठित कर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। समिति गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।
5/4	**शैक्षिक सत्र् 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 बैच के अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विद्यार्थियों को बैक पेपर हेतु प्रतिभाग करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्त सत्र के विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये एक बार समस्त विद्यार्थियों की परीक्षा अगस्त/सितम्बर माह में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा सम्पन्न कराई जाय। परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर, 2018 एवं सत्रांत परीक्षा मई, 2019 में उक्त सत्र के विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया जा चुका है तो उक्त विद्यार्थियों को बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी, परन्तु इसकी पुष्टि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को करनी होगी।
6/4	**विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी शैक्षिक सत्र् से परीक्षा नियमावली के अनुरूप ही एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाय।
7/4	**विद्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश–पत्र/अंक पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को शुल्क/पुस्तकालय/छात्रावास/मेस/प्रयोगशाला/खेल सामग्री आदि से No dues प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट निर्गत की जायेगी।
8/4	**सत्रांत/बैक पेपर परीक्षा मई, 2019 हेतु रू0 03.00 लाख अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा माह मई, 2019 में प्रस्तावित सत्रांत/बैक पेपर परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु निर्णय लिया गया विषय की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त सेमेस्टर परीक्षा के लिए अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 03.00 लाख हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

9/4	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।** 1– विश्वविद्यालय में आगामी सेमेस्टर से मिड सेमेस्टर टेस्ट एवं सेमेस्टर परीक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं उनके श्रुति लेखक का प्रवेश–पत्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण के माध्यम से जारी किये जाने पर निर्णय लिया गया। 2– प्रथम एवं द्वितीय पाली यानी प्रति दिवस परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु 60 उत्तर पुस्तिकाओं एवं स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 100 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किए जाने की सीमा निर्धारित की गई। 3– मूल्यांकन के पश्चात् शिक्षक द्वारा पारिश्रमिक बिल प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित विशेष कार्याधिकारी (OSD) द्वारा सत्यापित किया जायेगा। तत्पश्चात परीक्षा विभाग व लेखाकार के माध्यम से जांच कर तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदान किए गये।

अन्त में परीक्षा समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ